राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 2213/2008/कोटा
2. अपील संख्या 135/2009/कोटा
3. अपील संख्या 150/2009/कोटा

मैसर्स मित्तल पिगमेन्टस् प्रा0लि0,
ए–203, रोड नं0 5, आई.पी.आई.ए., कोटा। ....अपीलार्थी

बनाम
1. वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत बी, कोटा।
2. उपायुक्त (अपील्स), कोटा। ....प्रत्यर्थीगण

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित :

श्री एम.एल.पाटौदी, अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से
श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थीगण की ओर से.

दिनांक : 03.01.2018

निर्णय

1. यह तीनों अपीलें अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, कोटा (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–बी, कोटा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेशों के अन्तर्गत राजस्थान प्रवेश कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 12 के तहत प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है।

अपील सं.	अपी.अधि. की अपी. सं.	अपी.आदे.दि.	कर निर्धा. आदेश दिनांक	कर
2213/08	5/ई.टी/07–08/माल प्रवेश कर	02.09.08	22.03.07	1,50,206
135/09	1/ई.टी/08–09/माल प्रवेश कर	27.11.08	24.03.08	4,06,789
150/09	2/ई.टी/08–09/माल प्रवेश कर	27.11.08	24.03.08	5,52,733

2. इन तीनों अपील प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनको एक ही आदेश से निर्णित किया जाकर निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी पर Rajasthan Tax on Entry of Goods in Local Areas Act, 1999 (जिसे आगे **"प्रवेश कर"** कहा जायेगा) के तहत एस.के.ओ. पर 1 प्रतिशत से कर व फरनेस आयल पर 2 प्रतिशत से कर, धारा 35(1) के तहत शास्ति व धारा 66 के तहत शास्ति एवं ब्याज आरोपित किये गये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीले अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की, अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी की अपीले आंशिक स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया। जिनके विरूद्ध अधिनियम की धारा 83 के तहत अपीलार्थी द्वारा यह अपीलें कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

लगातार.........2

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 304(ए) एवं (बी) के प्रावधानों के विपरीत होने एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मैसर्स दिनेश पाउचेज के प्रकरण में Rajasthan Tax on Entry of Goods in Local Areas Act, 1999 को असंवैधानिक करार दिया है। अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्क के समर्थन में Indian Oil Corporation Ltd. & Anr. Vs State of U.P. & Ors reported in 2004 MTN (Vol. 24), M/s Jindal Strips Ltd., & Ors Vs State of Haryana reported in (2004) 134 STC 303, Addl. Commissioner Vs Prema Syntex reported in 8 VAT Reporter page 215 के उद्धरण प्रस्तुत किये। अतः उन्होंने आरोपित कर को अपास्त करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी एवं रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपील का मुख्य आधार यह प्रस्तुत किया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मैसर्स दिनेश पाउचेज के प्रकरण में Rajasthan Tax on Entry of Goods in Local Areas Act, 1999 को असंवैधानिक करार दिया है। परन्तु प्रवेश कर के बिन्दु पर प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे मैसर्स जिन्दल स्टेनलेस स्टील द्वारा सिविल अपील संख्या 3453/2002 द्वारा प्रस्तुत किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त प्रकरण मैसर्स जिन्दल स्टेनलेस स्टील बनाम स्टेट आफ हरियाणा में दिये गये निर्णय दिनांक 11.11.2016 के द्वारा प्रवेश कर को संवैधानिक ठहराया है अर्थात Contitutional validity of Entry Tax has been upheld by honourable Supreme Court. इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में उक्त अपीलें सारहीन होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य